

पटना में दिनांक-01 जुलाई, 2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार राज्य के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,00,00,000/-(एक करोड़ रुपये) मात्र वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | कला, संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दुर्लभ और विलुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित करने हेतु 'मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परम्परा योजना' प्रारंभ करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,11,60,000/-(एक करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रुपये) मात्र वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | केन्द्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल 3635.15 लाख (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख पंद्रह हजार) रुपये से योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

कृषि विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अंतर्गत कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थापना (वेतन, नियत मानदेय) तथा प्रशासनिक मद में व्यय हेतु कुल 8099.20 लाख (अस्सी करोड़ निनानवे लाख बीस हजार) रुपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

कृषि विभाग

5. चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (60:40) के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना अंतर्गत अनुमण्डल स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना, जैव उर्वरक एवं कार्बनिक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना तथा मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण घटक का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वयन एवं इस हेतु कुल 3049.37227 लाख (तीस करोड़ उनचास लाख सैंतीस हजार दो सौ सताईस) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

5. स्वीकृत।

कृषि विभाग

6. चतुर्थ कृषि रोड मैप (डी०पी०आर०) अंतर्गत कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बामेती एवं जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रशिक्षण, परिभ्रमण, पी०जी०डी०ए०ई०एम सम्पर्क कक्षा हेतु कुल 4102.95 लाख (एकतालीस करोड़ दो लाख पंचानवे हजार) रुपये मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

6. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

7. "सुलभ संपर्कता योजना" के तहत मोतिहारी जिलान्तर्गत गम्हरिया चौक, रक्सौल (NH-28A) से गम्हरिया चौक, आदापुर तक का पथ जिसकी कुल लम्बाई-12.8 कि०मी० एवं पथ के आरेखन, चेनेज-4.00 कि०मी० पर अवस्थित 77.48 मी० लम्बाई एवं चेनेज-10.270 कि०मी० पर अवस्थित 58.120 मी० लम्बाई का उच्चस्तरीय पुल का निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 37.0744 करोड़ रुपये (सैंतिस करोड़ सात लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

8. सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद अन्तर्गत जहानाबाद जिला के पुनहदा पंचायत में विभिन्न गांव में सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं सम्पोषण कार्य, प्राक्कलित राशि ₹42.9826 करोड़ (बियालीस करोड़ अठ्ठान्चे लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

8. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. राज्य में औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए भवन उपविधि, 2014 (संशोधित-2022) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. अररिया जिलान्तर्गत अंचल-अररिया, मौजा-रामपुर कोदरकट्टी, थाना सं०-305, खाता सं०-1121 के विभिन्न खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा-20.60 एकड़ गैरमजरूआ खास बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अररिया के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल-बरौनी के मौजा-सिमरिया, थाना सं०-500, खाता सं०-458, खेसरा सं०-5090, रकबा-18 एकड़ 25.5 डी० एवं मौजा-मल्हीपुर, थाना सं०-503, खाता सं०-261, खेसरा सं०-890, रकबा-22 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा-40 एकड़ 25.5 डी० (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-I) गैरमजरूआ खास, किस्म-बालू/रेता, सिमरिया घाट/धाम की भूमि पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।

11. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

12. सात निश्चय-2 के तहत बिहार के युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास, सशक्त नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा" (CM Promotion of Readiness, Awareness and Technical Insights for Guiding Youth Advancement (CM-PRATIGYA)) योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं इस योजना को लागू करने हेतु प्रथम वर्ष 2025-26 में कुल रु. 40.6924 करोड़ (रुपये चालीस करोड़ उन्हत्तर लाख चौबीस हजार मात्र) की राशि एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 में प्रत्येक वर्ष रु. 129.0147 करोड़ (रुपये एक सौ उनत्तीस करोड़ एक लाख सैंतालीस हजार मात्र) की दर से कुल राशि रु. 685.7659 करोड़ (रुपये छः सौ पचासी करोड़ छिहत्तर लाख उनसठ हजार मात्र) की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

13. बिहार कारखाना नियमावली, 1950 के नियम 95 से संबंधित 13 अनुसूचियों में अंकित खतरनाक प्रक्रियाओं में सभी महिलाओं को नियोजित करने एवं गर्भवती महिला एवं दुग्धपान कराने वाली माताओं के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने हेतु बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में।

13. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की कुल 4900.00 लाख रु० (उनचास करोड़ रुपये) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।
14. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

15. सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं न्यायाधीशों को घरेलू सहायता एवं अन्य सुविधाएं नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में।
15. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

16. सीतामढ़ी जिले में अवस्थित माँ सीता की जन्मस्थली, पुनौराधाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किये जाने हेतु तैयार की गयी वृहद् योजना एवं लागत राशि 882,87,00,000/- (आठ सौ बरासी करोड़ सतासी लाख) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति, योजना के वित्त-पोषण की रूप-रेखा, तथा क्रियान्वयन के उपरांत प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन की योजना की स्वीकृति के संबंध में।
16. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

17. आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के निमित्त मतपत्रों के मुद्रण हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131द के तहत नामांकन के आधार पर पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता-700056 को प्राधिकृत करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।
17. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

18. केन्द्र प्रायोजित स्कीम (60:40) राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण अन्तर्गत गोकुल जलाशय, भोजपुर के समेकित प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक कुल रु० 3248.30 लाख (बत्तीस करोड़ अड़तालिस लाख तीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
18. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

19. स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
19. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

20. राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन के संबंध में।
20. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

21. बिहार राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। 21. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

22. श्री राजीव कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा सचिवालय का दिनांक-30.06.2025 को संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के पश्चात् दिनांक-01.07.2025 से एक वर्ष के लिए बिहार विधान सभा सचिवालय में निदेशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन को विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। 22. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

23. श्री रामाकान्त प्रसाद, सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना (सम्प्रति संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त) की पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक-01.07.2025 से 30.06.2026 (01 वर्ष) तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। 23. स्वीकृत।

निगरानी विभाग

24. विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना में पुलिस उप-महानिरीक्षक के 01 (एक) रिक्त पद पर श्री विकास कुमार, वर्तमान पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना को सेवानिवृत्ति के उपरान्त संविदा पर नियोजित करने के संबंध में। 24. स्वीकृत।